न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2011/00078

1. महाराज कुमार श्री रणजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हिजहाईनस महाराज राजा स्वर्गीय श्री बहादुर सिंह जी जाति राजपूत निवासी रावला मोती महल बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (मृतक) ।
   1/1. मूर्ति श्री आशापुरा माता जी कुलदेवी विराजमान मोती महल बून्दी जरिये श्रीनाथ सिंह हाडा पुत्र श्री स्वर्गीय जयनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी बहादुर सिंह सर्किल बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
   1/2. श्री जितेन्द्र सिंह आत्मज श्री युवराज प्रताप सिंह निवासी अलवर ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।
2. नगर परिषद बून्दी जरिये आयुक्त नगर परिषद, बून्दी ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.07.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 02.02.2007 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के पिता स्वर्गीय हिजहाईनस महाराव राजा श्री बहादुर सिंह जी बून्दी राज्य का राजस्थान राज्य में विलय होने के समय बून्दी राज्य के नरेश थे । जिस समय बून्दी राज्य का राजस्थान राज्य में विलय हुआ उस समय प्रीविपर्स के अतिरिक्त बून्दी नरेश के पास इस वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट में अंकित अचल सम्पत्ति भी छोडी गई थी । जिसके विषय में दिनांक 03 जनवरी, 1950 को राजस्थान राज्य के माननीय राज प्रमुख के यहॉ से एक पत्र भी बून्दी नरेश हिजहाईनेस महाराव राजा श्री बहादुर सिंह जी के प्राईवेज सक्रेटरी के नाम जारी किया गया था और इस पत्र के साथ ही उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति जो बून्दी नरेश के पास छोडी गई थी उसकी एक फेहरिस्त

भी भेजी गई थी । इन दोनों की यानि राज प्रमुख के पत्र दिनांक 03 जनवरी, 1950 एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति फेहरिस्त की फोटो प्रतियाँ वादपत्र के साथ संलग्न कर दी गई हैं । उक्त सम्पत्ति स्वर्गीय हिजाइनेस महाराव राजा श्री बहादुर सिंह जी के जीवनपर्यन्त उनके स्वयं के हक से उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य में रही एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि वादी को विरासत में प्राप्त हुई । उक्त सम्पत्ति में वादी को रणजीत निवास भी विरासत में प्राप्त हुआ । वादी उसी समय से उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति पर निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त सम्पत्ति को अकारण ही सिवायचक दर्ज कर दिया । वादी को आवश्यक हो गया है कि वे उक्त सम्पूर्ण भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित करावें । अन्त मे वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जाने का निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज की जावे ।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने परीक्षण न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी का वाद खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02.02.2007 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.02.2007 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है । वादी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात राज प्रमुख की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 03.01.50 की इन्वेन्ट्री सूची की फोटो प्रति असल दस्तावेज न्यायालय को दिखाकर प्रदर्श डाले गये हैं । रणजीत निवास एवं कम्पाउण्ड में रणजीत निवास स्वयं कोठी एवं एक बावडी, छतरी व अन्य भवन हैं, इसलिये जमाबन्दी में कोठी, बावडी व गैर मुमकिन आबादी का इन्द्राज है । रणजीत निवास के भवन के चारों ओर स्थित भूमि वादपत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट "अ" में वर्णन किया गया है । इसके चारों ओर बाउण्ड्री बॉल बनी हुई है जिसमें प्रवेश द्वार बने हुए हैं, इस प्रकार रणजीत निवास व कम्पाउण्ड के नाम से उक्त भूमि व भवन जाना जाता है जिस पर रियासतकाल के समय से ही स्व0 बहादुर सिंह जी का कब्जा चला आ रहा था उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट का निरन्तर एवं निर्बाध रूप से कब्जा है । इस प्रकार उक्त भूमि वादी के स्वामित्व एवं कब्जे की है । उक्त अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.02.2007 निरस्त फरमाया जावे।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अपील के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 25.11.2021 को अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 282, 289, 290, 291 एवं 292 देवपुरा बून्दी नगर परिषद के खाते दर्ज कर दी गई है। अतः उक्त स्थिति मे नगर परिषद बून्दी को पक्षकार बनाया जाकर सुना जाना आवश्यक है। अन्त मे नगर परिषद बून्दी को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। न्यायहित मे प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर नगर परिषद बून्दी

को अपील मे बतौर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पक्षकार बनाया गया। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जारी सम्मन नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

6. अपील के विचाराधीन रहते हुए अपीलांट प्रार्थी की ओर से दिनांक 21.10.2021, दिनांक 04.08.2022 व दिनांक 01.06.2023 को तीन अलग–अलग प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील के निर्णय के लिए आवश्यक दस्तावेज है जिनकी प्रतियां अपीलांट प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। अन्त मे प्रार्थना–पत्रों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थना–पत्रों का अवलोकन किया। उक्त सभी दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत होना प्रतीत होते है, उक्त दस्तावेजों का अपील के निस्तारण मे सहायक सिद्ध होना प्रतीत होता है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने मे कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। अतः न्यायहित मे प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत उक्त तीनो प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 स्वीकार किये जाकर प्रार्थना–पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक श्री रमेश चन्द जैन व श्री कैलाश गुप्ता ने संयुक्त रूप से प्रकरण मे बहस प्रस्तुत की। विद्वान अभिभाषकगण ने बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट वादी ने एक दावा परीक्षण न्यायालय में इस आशय का पेश किया था कि महाराव रणजीत सिंह बून्दी का राजस्थान राज्य में विलय होने पर बून्दी नरेश थे । उन्हें वादपत्र के परिशिष्ट में अचल सम्पत्ति प्रीवीपर्स के अतिरिक्त दी गई थी और राजस्थान राज्य के राज्य प्रमुख का एक पत्र महाराव राय बहादुर सिंह जी के प्राईवेट सेक्रेट्री के नाम जारी किया गया था । यह आराजी महाराव बहादुर सिंह के जीवनपर्यन्त उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य में रही । बून्दी शहर में स्थित शिकार बुर्ज वादी को विरासत में प्राप्त हुआ था जिस पर वादी का कब्जा था और सरकारी रिकॉर्ड में इसको सिवायचक दर्ज कर दिया गया । परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 02 तनकीयात कायम की । वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में राज प्रमुख के पत्र दिनांक 03.01.1950 और अचल सम्पत्ति की सूची की प्रतियॉं पेश की थी और मौखिक साक्ष्य भी पेश की थी जिसमें वादी के कब्जे का कथन किया गया था । परीक्षण न्यायालय ने साक्ष्य की विधि सम्मत रूप से विवेचना नहीं की है । अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात राज प्रमुख की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 03.01.50 की इन्वेन्ट्री सूची की फोटो प्रति असल दस्तावेज न्यायालय को दिखाकर प्रदर्श डाले गये हैं । रणजीत निवास एवं कम्पाउण्ड में रणजीत निवास स्वयं कोठी एवं एक बावडी, छतरी व अन्य भवन हैं, इसलिये जमाबन्दी में कोठी, बावडी व गैर मुमकिन आबादी का इन्द्राज है । रणजीत निवास के भवन के चारों ओर स्थित भूमि का वादपत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट "अ" में वर्णन किया गया है । इसके चारों ओर बाउण्ड्री बॉल बनी हुई है जिसमें प्रवेश द्वार बने हुए हैं, इस प्रकार रणजीत निवास व कम्पाउण्ड के नाम से उक्त भूमि व भवन जाना जाता है जिस पर रियासतकाल के समय से ही स्व0 बहादुर सिंह जी का कब्जा चला आ रहा था उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट का निरन्तर एवं निर्बाध रूप से कब्जा है । इस प्रकार उक्त भूमि वादी के स्वामित्व एवं कब्जे की है । स्वयं राजस्थान राज्य के

सरकारी विभाग शिक्षा विभाग, खनिज विभाग, कृषि विभाग एवं सीएडी विभाग रणजीत निवास में किरायेदार रहे हैं और राज्य पक्ष की ओर से उक्त भवन का किराया पहले वादी के स्वर्गीय पिता के पक्ष में तथा उनकी मृत्यु के बाद वादी के पक्ष में राजकोष में अदा होता चला आया है । स्वयं जिलाधीश बूंदी ने अपने एक आदेश में सन् 1983 मे प्रश्नगत भूमि को सरकारी नहीं माना। इस प्रकार स्वयं राज्य पक्ष द्वारा रणजीत निवास व उसके कम्पाउण्ड उसके स्वामित्व एवं कब्जे को स्वीकार करते हैं । प्रतिवादी की ओर से प्रतिवाद पत्र में एवं दौराने बहस विवादित सम्पत्ति को राजकीय कहना कतई उचित नहीं है राज्य पक्ष वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के विपरीत कथन करने से एस्टोप्ड है । न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश(फास्टैक) कम–4 जयपुर के निर्णय दिनांक 30.11.2005 की सत्यापित प्रतिलिपी प्रस्तुत की गई है। इस निर्णय से स्पष्ट है कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट की नहीं होकर अपीलांट की है। इस निर्णय दिनांक 30.11.2005 मे भी परिशिष्ट–"A" में प्रश्नगत भूमि भी उल्लेखित है, तथा प्रश्नगत सम्पत्तियों के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। उक्त भूमि कृषि भूमि के रूप मे है तथा जमाबंदी मे राजस्व रिकार्ड मे नाम होने के कारण राजस्व न्यायालय को ही सुनने का क्षेत्राधिकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व न्यायालय को प्रश्नगत प्रकरण को सुनवाई कर निर्णय करने का क्षेत्राधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि, "तथाकथित इन्वेन्ट्री व अधिसूचना द्वारा राज प्रमुख की असल प्रति पेश नहीं की गई है एवं मुख्तारनामा आम की भी असल प्रति पेश नहीं की गई जिसके अभाव में वर्तमान रिकॉर्ड से तुलनात्मक विवेचना संभव नहीं होने के कारण वाद खारिज किया जाता है ।" उक्त निर्णय पत्रावली में प्रस्तुत की गई साक्ष्य के सर्वथा विपरीत है क्योंकि न्यायालय के समक्ष वादी के गवाहान ने न्यायालय में असल मुख्तारनामा अधिसूचना एवं सूची न्यायालय को दिखाकर ही पत्रावली में संलग्न फोटो प्रति पर प्रदर्श–डाले गये हैं । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में जो विवेचना की है वह त्रुटिपूर्ण है । वादी अपीलान्ट द्वारा मुख्तारआम की प्रमाणित प्रति भी पेश कर दी गई है । अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि पूरे राजस्थान एवं बून्दी जिले मे भी एक सामान्य आदेश से राजस्व अभिलेखों में अंकित सभी राजकीय भूमि संबंधित नगर निकाय के नाम दर्ज कर दी गई है। इसी के तहत प्रश्नगत भूमि भी एक रूटीन प्रकिया के तहत एक सामान्य आदेश से नगर परिषद बूंदी के नाम दर्ज कर दी गई। हालांकि उस आदेश में यह भी शर्त थी कि उन सिवायचक भूमियों को दर्ज नहीं किया जाए जिनमें किसी न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन हो। उसके बावजूद भी एक रूटीन मशीनी प्रकिया से भूमि सिवायचक से नगर परिषद बूंदी के नाम दर्ज कर दी गई। अतः सभी साक्ष्यों/दस्तावेजो से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि वादी अपीलांट की खातेदारी की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.02.2007 निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक है । इस पर अपीलान्ट वादी का कब्जा नहीं है । अपीलान्ट वादी के खिलाफ सीलिंग का प्रकरण चला था और सन् 2006 में निर्णित हुआ था जिसमें अपीलान्ट वादी के द्वारा यह आराजी अपने खाते में अंकित होने का कथन नहीं किया गया था । अपील में जो सूची पेश अचल सम्पत्ति की पेश की गई है उसमें खसरा नम्बर अंकित नहीं हैं । नगर परिषद क्षेत्र की सिवायचक भूमियां नगर परिषद के नाम दर्ज की जाती है। परीक्षण

न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । राजस्व न्यायालय को प्रश्नगत भूमि को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर ही यह प्रकरण खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादी अपीलान्ट का वाद खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.02.2007 बहाल रखा जावे ।

9. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध महाराजा कुमार रणजीत सिंह के द्वारा श्री बलबद्र सिंह पुत्र केसरी सिंह के पक्ष में आलेखित मुख्तारनामा दिनांक 08.02.1996 की फोटोप्रति है जिस पर प्रदर्श–1 दिनांक 11.07.01 अंकित है। नकल जमाबन्दी संवत् 2051–54 की है जिसके अनुसार ग्राम देवपुरा की नया खाता संख्या 01 में खसरा नम्बर 289 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 290 रकबा 07 बीघा, खसरा नम्बर 291 रकबा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 292 रकबा 08 बीघा कॉलम संख्या 07 में उक्त भूमि की किस्म कोठी दर्ज है तथा उक्त भूमि कॉलम संख्या 04 में राजकीय भूमि, आबादी दर्शायी हुई है जिस पर प्रदर्श–2 दिनांक 11.07.01 अंकित है। नकल जमाबन्दी संवत् 2051–54 की है जिसके अनुसार ग्राम देवपुरा की नया खाता संख्या 01 में खसरा नम्बर 283 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा (बावडी) तथा उक्त भूमि कॉलम संख्या 04 में राजकीय भूमि, खड्डेदार दर्शायी हुई है जिस पर प्रदर्श–3 दिनांक 11.07.01 अंकित है । राज प्रमुख द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 03.01.1950 (Inventories of Private Propwrties) की फोटो प्रति है जिस पर प्रदर्श–4 दिनांक 11.07.01 अंकित है । राज प्रमुख की अधिसूचना दिनांक 03.01.1950 के साथ संलग्न Description of Property की सूची की फोटो प्रति है जिस पर प्रदर्श–5 दिनांक 11.07.2001 अंकित है । भवन स्वामी श्री महाराज कुमार द्वारा जारी किराये की रसीद संख्या 2518 दिनांक 10.07.1997, 2519 दिनांक 23.07.1997, 2576 दिनांक 31.03.1998, 267 दिनांक 02.09.1992, है जिन पर प्रदर्श–6 लगायत 9 दिनांक 11. 07.01 अंकित है परन्तु रसीद संख्या 279 दिनांक 25.11.1992 पर प्रदर्श अंकित नहीं है । दो अलग–अलग डाक विभाग की रसीद की प्रतियां है जिन पर कमशः प्रदर्श–11 एवं प्रदर्श–12 दिनांक 11.07.01 अंकित है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिस पर प्रदर्श–10 का अंकन हो। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 से 2047 की शुद्ध प्रतिलिपी संलग्न है, जिसके अनुसार गत खसरा नम्बर 194 मिन के नवीन खसरा नम्बर 289 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 290 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 291 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 292 रकबा 8 बीघा बने है। जिलाधीश बून्दी के आदेश पत्र दिनांक 05.12.1983 की फोटोप्रति संलग्न है जिसके अनुसार "चूंकि रणजीत निवास सरकारी भवन नहीं है, अतएव ऐसी स्थिति मे इस कार्यालय के आदेश संख्या 2005–06/सामान्य/83/दिनांक 16.05.83 के अन्तर्गत खनीज तथा शिक्षा विभाग को उक्त भवन का जो भाग आवंटित किया गया था उसका कोई औचित्य नहीं होने से रेन्ट पुनः निर्धारण करने का कोई प्रश्न नहीं है, अतः कार्यालय द्वारा प्रसारित उक्त आदेश दिनांक 16.05.83 तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है" अंकित है। सी.ए.डी. विभाग बून्दी द्वारा रणजीत निवास को खाली करने के संबंध मे पत्र कमांक 2608 दिनांक 05.05.1983 की फोटोप्रति संलग्न है। खनिज विभाग का पत्र कमांक/ख.अ./बून्दी/लेखा/65/500

दिनांक 14.02.1985 की फोटोप्रति संलग्न है। असल निर्णय व डिक्री दिनांक 02.02.2007 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी का है। सत्यप्रति निर्णय दिनांक 16.05.2006 न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सिलींग बून्दी की है। वादी की ओर से बयान बदमद्र सिंह पीडब्ल्यू–1 संलग्न है । प्रतिवादी की ओर से बयान तुलसीराम हल्का पटवारी डीडब्ल्यू–1 संलग्न है । न्यायालय हाजा की पत्रावली मे उपलब्ध तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज सत्यप्रति पंजीकत वसीयतनामा दिनांक 31.03.2009 का है। फोटोप्रति "Appointment of savait cum Trustees" दिनांक 08.05. 2008 की है। तथा फोटोप्रति पंजीकृत "SUPPLEMENTRY DEED OF TRUST" दिनांक 23.02. 2011 की है। प्रमाणित प्रति अचल सम्पत्ति शिड्यूल–A माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बून्दी द्वारा जारी की गई। नकल जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 ग्राम देवपुरा की खाता संख्या 710 की किता 66 रकबा 30.9989 हैक्टेयर की है जिसमे अंकित खसरा नम्बर 282 किस्म गैर.मु.मन्दिर तथा खसरा नम्बर 289 से 292 किस्म गैर मुमकिन खोटी दर्ज है। सत्यप्रतिलिपी माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व0ख0) बून्दी(राज0) के प्रकरण संख्या 117/2006 मे पारित निर्णय दिनांक 29.05.2008 की है तथा इसके साथ बयान गवाह पी0डब्ल्यु0–1 की सत्यप्रतिलिपी भी संलग्न है। सत्यप्रति कार्यालय जिला विस्तार अधिकारी सी.ए.डी. कोटा के पत्र कमांक 2080–82 दिनांक 25.11.2000 की है। सत्यप्रतिलिपी कार्यालय जिला विस्तार अधिकारी सी.ए.डी. कोटा के पत्र कमांक 2101 दिनांक 25.11.2000 की है। सत्यप्रति नोटिस दिनांक 21.11.2000 की है जो अपीलांट द्वारा राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर बून्दी तथा जिला विस्तार अधिकारी (सीएडी) बून्दी रणजीत निवास बून्दी को जर्ये अधिवक्ता जारी किया गया है। सत्यप्रतिलिपी वाद संख्या 22/2001 माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय(क0ख0) एवं न्यायिक मजि0 साहब, बून्दी की है तथा इसके साथ जवाबदावे व अन्य दस्तावेजो की सत्यप्रति संलग्न है। सत्यप्रतिलिपी माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश(व0ख0) बून्दी(राज0) के प्रकरण संख्या 118/2006 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.008 की है। सही प्रतिलिपी माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश(फास्ट्रेक) कम–4, जयपुर शहर, जयपुर के दीवानी वाद कमांक 241/2003 (43/86) (153/96), समेकित वाद कमांक 9/85 (32/85) (58/93), समेकित वाद कमांक 10/85 (33/85) (57/93) मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.11.2005 की है। फोटोप्रति माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम–2, जयपुर नगर के प्रकरण संख्या सिविल मुत. 12/90 मे पारित निर्णय दिनांक 20.02.1990 की है, जिसके साथ सम्पत्ति की सूचि शिड्युल–A की फोटोप्रति संलग्न है। हमने उक्त सभी दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादी के द्वारा दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है और दावे के परिशिष्ट में खसरा नम्बर 229 की रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 290 रकबा 07 बीघा, खसरा नम्बर 291 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 292 रकबा 08 बीघा, खसरा नम्बर 283 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा अंकित हैं, के सम्बन्ध में हक घोषणा का अनुतोष चाहा गया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2051–54 प्रदर्श– 2 है जिसके अनुसार ग्राम देवपुरा की नया खाता संख्या 01 में खसरा नम्बर 289 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 290 रकबा 07 बीघा, खसरा नम्बर 291 रकबा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 292 रकबा 08 बीघा कॉलम संख्या 07 में उक्त भूमि की किस्म कोठी दर्ज है तथा उक्त भूमि कॉलम संख्या 04 में राजकीय भूमि, आबादी दर्शायी हुई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2051–54 प्रदर्श–3 है जिसके अनुसार ग्राम देवपुरा की नया खाता संख्या 01 में खसरा नम्बर 283 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा (बावडी) तथा उक्त भूमि कॉलम

संख्या 04 में राजकीय भूमि, खड्डेदार दर्शायी हुई है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात प्रदर्श–2 व 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी जिसके सम्बन्ध में हक घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि आबादी भूमि है तथा किस्म कोठी दर्ज की हुई है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत केवल कृषि भूमि के सम्बन्ध में हक घोषणा का वाद लाया जा सकता है । वादी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज/राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त आराजी आबादी दर्ज होने से पूर्व कृषि भूमि रही हो । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न किराये की रसीद प्रदर्श– 6 लगायत 9 से स्पष्ट है कि मौके पर उक्त भूमि का उपभोग आवासीय भूमि के रूप में किया जा रहा है । चूँकि जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2054 मे खसरा नम्बर 289, 290, 291, 292 के सामने भूमि वर्गीकरण कॉलम संख्या 7 मे "कोठी" दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत 2051 से 2054 मे ही खसरा नम्बर 283 बावड़ी तथा भूमि वर्गीकरण के कॉलम संख्या 7 मे "आ.चा." दर्ज है, परन्तु उक्त विवादित आराजी के कृषि भूमि होने का कोई साक्ष्य राजस्व रिकॉर्ड में होना नहीं पाया गया । राज प्रमुख द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 03.01.1950 मे आईटम नम्बर 8 पर निजी सम्पत्ति का विवरण दर्ज है। माननीय बून्दी सैशन कोर्ट के सिविल सूट 1986 मे प्रस्तुत शिड्यूल–ए(प्रदर्श–1) मे अचल सम्पत्तियॉ कम संख्या 1 से 22 तक अकित है। सत्यप्रति वसीयत दिनांक 30.12.2001 (प्रदर्श–15ए) जो कि माता महेन्द्र कुमारी द्वारा पुत्र जितेन्द्र सिंह के पक्ष मे आलेखित है। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी न्यायालय हाजा मे दिनांक 01.06.2023 को प्रस्तुत हुआ जिसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। (1). अपीलांट(जितेन्द्र सिंह) की माता(महेन्द्र कुमारी) द्वारा बंटवारे का वाद माननीय सिविल न्यायालय बून्दी से अंतरित होकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(फास्ट्रेक) कम–4, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2005 की सत्य प्रतिलिपी प्रस्तुत की गई। मूलतः यह वाद वादिया महेन्द्र कुमारी व प्रतिवादी रणजीत सिंह के मध्य सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर था। विवादित सम्पत्ति की सूचि उक्त वाद मे परिशिष्ट–ए प्रस्तुत किया गया, जिसकी कम संख्या 11 पर विवादित भूमि रणजीत निवास का अंकन है। उक्त निर्णय मे आदेश के बिन्दु संख्या 5 पर अंकित है कि "फूलसागर पैलेस, 11 बीघा कृषि भूमि व रामगढ़ हाउस के अतिरिक्त अन्य चल व अचल सम्पत्ति स्व. बहादुर सिंह में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्सा है, जो वादी पृथक करवाकर प्राप्त करने का अधिकारी है।" इस प्रकार विवादित सम्पत्ति की प्राथमिक डिकी सिविल न्यायालय द्वारा जारी की गई है। उक्त वाद मे अभी केवल प्राथमिक डिकी जारी हुई है। वादी अपीलांट ने इन्वैन्टरीज ऑफ प्राइवेट प्रोपर्टीज, जो 3 जनवरी 1950 की है, प्रस्तुत की है जिसमें प्रोपर्टीज के विवरण में बिन्दु संख्या 8 पर **"Ranjeet niwas and its compound"** अंकित है। इस प्राथमिक डिकी मे वादी एवं प्रतिवादी के बीच सम्पत्ति के विभाजन का आदेश हुआ है। इस प्राथमिक डिकी के पश्चात् अंतिम डिकी जारी हुई अथवा नहीं यह पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट नहीं है। न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत प्रकरण मे प्रश्नगत भूमि भी उक्त वाद के निर्णय के परिशिष्ट–ए की कम संख्या 11 पर अंकित होकर सम्मिलित है। हालांकि माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(फास्ट्रेक) कम 4 जयपुर के द्वारा प्राथमिक डिकी दिनांक 30.11.2005 जारी की गई है तथा प्रकरण मे अभी अंतिम डिकी जारी नहीं हुई है। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत जिलाधीश बूंदी के एक पत्र पर ध्यान आकर्षित किया गया। जिलाधीश बून्दी के आदेश पत्र दिनांक

05.12.1983 के अनुसार "चूंकि रणजीत निवास सरकारी भवन नहीं है, अतएव ऐसी स्थिति मे इस कार्यालय के आदेश संख्या 2005–06/सामान्य/83/दिनांक 16.05.83 के अन्तर्गत खनीज तथा शिक्षा विभाग को उक्त भवन का जो भाग आवंटित किया गया था उसका कोई औचित्य नहीं होने से रेन्ट पुनः निर्धारण करने का कोई प्रश्न नहीं है, अतः कार्यालय द्वारा प्रसारित उक्त आदेश दिनांक 16.05.83 तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है"। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि जिलाधीश बून्दी के उक्त पत्रानुसार विवादित आराजी की भूमि को सरकारी भूमि नहीं होना मानकर निजी सम्पत्ति होना माना है तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने इसके खण्डन मे कोई तथ्य या कथन प्रस्तुत नहीं किया है। न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश(व.ख.) बूंदी में प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान जिला कलक्टर बूंदी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जिला विस्तारण अधिकारी(सी0ए0डी0) रणजीत निवास बूंदी है। इस वाद संख्या 118/2006 मे माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि " प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे वाद की चरण संख्या 2 मे वर्णित वादी के स्वामित्व के रणजीत निवास के अपने किरायेदारी वाले परिसर प्रथम खण्ड को निर्णय की तिथि से तीन माह के अंदर खाली करके वादी को संभला देवे अन्यथा वादी को प्रतिवादीगण के खर्चे पर उक्त परिसर खाली करवाने का अधिकार होगा।" सिलिंग सीमा तक वादी के पक्ष मे छोड़ी गई भूमि मे विवादित भूमि का उल्लेख नहीं है। जमाबंदी मे कोठी भी दर्ज है। इस प्रकार जिला कलक्टर बूंदी के पत्र दिनांक 05.12.1983 तथा माननीय न्यायाल अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) बून्दी के निर्णय दिनांक 29.05.2008, प्रस्तुत रसीदें तथा विभागों के पत्र आदि से प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा होना प्रतीत होता है। रणजीत निवास की भूमि का खसरा नम्बर विवरण हेतु जमाबंदी सम्वत् 2051 से 2054 खसरा नम्बर 289, 290, 291, 292 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न है। उक्त जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 मे राजकीय भूमि की खाता संख्या 1 मे खण्ड(ख) भूमि चराई योग्य नहीं है(1) आबादी मे दर्ज रिकॉर्ड है। (2). खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 से 2015 की सत्य प्रतिलिपी प्रस्तुत की गई जिसके प्रथम कॉलम मे खसरा नम्बर 194 "रणजीत निवास की कोठी" कॉलम संख्या 3 भूमि का प्रकार "मकान" , कॉलम संख्या 6 मे "बिला आबादी" तथा आगे मकान बदस्तूर अंकित किया हुआ है। (3) मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 से 2047 की सत्य प्रतिलिपी प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार गत खसरा नम्बर 194 मिन के नवीन खसरा नम्बर 289 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 290 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 291 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 292 रकबा 8 बीघा बने है। (4) खसरा महकमा बन्दोबस्त सम्वत् 1994(सन् 1937 से 1939) की सत्य प्रतिलिपी प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 194 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा किस्म "आ. कोठी" दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रदर्श–4 व 5 पर उपलब्ध अधिसूचना दिनांक 03.01.1950 की कम संख्या 8 पर रणजीत निवास अंकित है। प्रदर्श–6 से 9 पर रणजीत निवास को विविध राजकीय विभागों को किराए पर दिए जाने के फलस्वरूप कार्यालय भवन स्वामि श्री महाराज कुमार ऑफ बून्दी के नाम किराए की रसीदे प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा जमाबंदी सम्वत 2051 से 2054 मे अंकित खसरा नम्बर 289, 290, 291 व 292 को भी विवादित रणजीत निवास की भूमि माना है, तथा उक्त खसरा नम्बर के मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2028 से 2047 के अनुसार खसरा नम्बर 289, 290, 292 के साबिक खसरा नम्बर 194 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा रहे है। साबिक खसरा नम्बर 194 की किस्म एवं स्वामित्व की पुष्टि हेतु खसरा महकमा बन्दोबस्त सम्वत 1994 प्रस्तुत की है जिसके अनुसार उक्त भूमि "आ.कोठी" दर्ज रिकॉर्ड है। प्रस्तुत की गई खसरा

गिरदावरी सम्वत 2012 से 2015 के अनुसार खसरा नम्बर 194 "मकान बदस्तूर" दर्ज रिकॉर्ड होना पाया गया। इस प्रकार विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 289, 290, 291, 292 जिसके साबिक खसरा नम्बर 194 रहे है। भू–प्रबन्ध पूर्व से अब तक कृषि भूमि नहीं होकर आबादी क्षेत्र की भूमि होने की पुष्टि होती है। रेस्पोडेन्ट ने कब्जे के सम्बंध मे कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट ने कब्जे का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया अतः हम अधिवक्ता अपीलांट के कथन से सहमत है कि पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या अपीलांट प्रश्नगत भूमि पर काबिज प्रतीत होता है। वादी अपीलांट ने इन्वैन्टरीज ऑफ प्राइवेट प्रोपर्टीज, जो 3 जनवरी 1950 की है, प्रस्तुत की है जिसमें प्रोपर्टीज के विवरण में बिन्दु संख्या 8 पर "Ranjeet niwas and its compound" अंकित है। इस इन्वैन्टरी की फोटो–प्रति पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रदर्श–4 अंकित है। वर्तमान नकल जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार विवादित आराजी नगर परीषद बून्दी को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित/आवंटित/हस्तांतरण हिस्सा–पूर्ण खातेदार (गैर मुमकिन भूमि) दर्ज रिकॉर्ड है, विवादित आराजी कृषि भूमि नहीं होकर आबादी भूमि मे दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(24) मे भूमि को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि, " "भूमि" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजनों या उसके अधीनस्थ प्रयोजनों के लिए या बाग–भूमि के रूप मे या चारागाह के लिए पट्टे पर दी जाती है या धारित की जाती है और इसमें किसी जोत पर अवस्थित मकानों या बाड़ो के नीचे की भूमि या जल से ढकी हुई वह भूमि सम्मिलित है जो सिंचाई करने या सिंघाड़ा या ऐसी ही अन्य पेदावार के प्रयोजन के लिये उपयोग मे लायी जा सके, किंतु आबादी भूमि इसमें सम्मिलित नहीं है, पर इसमें भूमि से होने वाले फायदे तथा भू–बद्ध वस्तुएं या किसी भी भू–बद्ध वस्तु से स्थाई रूप से आबद्ध वस्तुएं सम्मिलित है।" परन्तु जैसा कि उपर विवेचन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की किस्म कृषि भूमि नहीं होकर आबादी भूमि है, अतः ऐसी स्थिति मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 के प्रकाश मे न्यायालय हाजा को प्रकरण सुनने का श्रवणाधिकार नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी बिन्दु पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 02.02.2007 विधि सम्मत होने से उसमे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी के प्रकरण संख्या 498/2002 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 02.02.2007 यथावत रखा जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2011/00078

1. महाराज कुमार श्री रणजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हिजहाईनस महाराज राजा स्वर्गीय श्री बहादुर सिंह जी जाति राजपूत निवासी रावला मोती महल बून्दी तहसील व जिला बून्दी(राज0)।
   1/1. मूर्ति श्री आशापुरा माता जी कुलदेवी विराजमान मोंती महल बून्दी जरिये श्रीनाथ सिंह हाड़ा पुत्र स्वर्गीय जयनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी बहादुर सिंह सर्किल बून्दी तहसील व जिला बून्दी।
   1/2. श्री जितेन्द्र सिंह आत्मज श्री युवराज प्रताप सिंह निवासी अलवर।
2. पुष्पाबाई बेवा स्व0 श्री हीरालाल जाति माली निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी।
2. नगर परीषद बून्दी जरिये आयुक्त नगर परीषद, बून्दी।

——रेस्पोडेन्ट

वाद संख्याः 498/2002

महाराज कुमार श्री रणजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हिजहाईनस महाराज राजा स्वर्गीय श्री बहादुर सिंह जी जाति राजपूत निवासी रावला मोती महल पैलेस बून्दी तहसील व जिला बून्दी(राज0)।

——वादी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार तहसील बून्दी जिला बून्दी(राज0) ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 498/2002 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 02.02.2007 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपील तारीख 12.07.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि प्रस्तुत प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 02.02.2007 यथावत रखा जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिकी आज तारीख 12.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा